CHAP-3

## तृतीय अध्याय

## आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी शिक्षण

%
:
:
:
:
:
:

1 दक्षिण भारत पर हिन्दी का प्रभाव

2 आन्ध्र प्रदेश - एक परिचय

(1) आन्ध्र प्रदेश की साक्षरता

(2) तेलुगु भाषा

(3) तेलुगुभाषा का भाषावैज्ञानिक परिचय

(4) तेलुगुभाषा क्षेत्र

(5) तेलुगु भाषा क्षेत्र की सीमाएँ

(6) तेलुगु की बोलियाँ

3 हिन्दी भाषा का परिचय

(1) हिन्दी का भाषावैज्ञानिक परिचय

(2) हिन्दी भाषा क्षेत्र की सीमाएँ

(3) हिन्दी की बोलियाँ

(4)

4 आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी शिक्षण

(1) आन्ध्र प्रदेश का शिक्षा विधान तथा हिन्दी

5 तेलुंगाना क्षेत्र में हिन्दी शिक्षण

6 रायलसीमा में हिन्दी शिक्षण

निष्कर्ष

सहायक ग्रंथ सूची

## आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी शिक्षण

भारत के वर्तमान राज्यों में हिन्दी की स्थिति पर प्रकाश डालने के बाद आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी की स्थिति क्या है और द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण किस प्रकार दिया जा रहा है इस पर विचार करना आवश्यक है । प्रस्तुत शोध विषय की सीमा आन्ध्र प्रान्त होने पर भी संपूर्ण आन्ध्र प्रदेश का शिक्षा विधान एकीकृत पाठ्यक्रम पर आधारित होने के कारण आन्ध्र प्रदेश की भाषा-नीति में कोई अन्तर नहीं है ।

पिछले अध्याय में आन्ध्र प्रदेश की भाषा नीति पर प्राप्त तथ्यों के आधार पर विषय का स्पष्टीकरण किया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश की प्रादेशिक भाषा तेलुगु होने पर भी इस प्रान्त पर हिन्दी भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है । दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार ठीक ढंग से होने में भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारण प्रमुख हो सकते हैं ।

इस संदर्भ में दक्षिण भारत पर हिन्दी का प्रभाव कैसा रहा इस पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना आवश्यक है ।

### । दक्षिण भारत पर हिन्दी का प्रभाव :

सांस्कृतिक समानताओं तथा तीर्थ यात्राओं के कारण देश भर में सदैव एक सामान्य भाषा का प्रचार रहा है । पहले संस्कृत सामान्य भाषा रही, फिर बाद में प्राकृत आई । इसके बाद अपभ्रंश ने गद्दी संभाली । तदुपरान्त हिन्दी एक व्यापक भाषा बनी । इस आधुनिक रूप को ग्रहण करने में उसमें कई परिवर्तन आ गये हैं ।

संसार स्वयं परिवर्तनशील है । कुछ का परिवर्तन इतनी जल्दी जल्दी होता है कि वह हमें प्रत्यक्ष जान पड़ता है । भाषा में परिवर्तन निरन्तर होता रहता है । हिन्दी केवल गंगा की गोदी में ही नहीं पली वरन् वहाँ से चलकर गोदावरी की छाया में भी विकसित हुई । दक्षिण में प्राकृत और अपभ्रंश के बाद शिक्षित वर्ग हिन्दी के पुराने रूप से बहुत कुछ परिचित था । इसीलिए बालयोगी ज्ञानेश्वर के पिता, स्वामी रामानन्द के शिष्य थे और स्वयं ज्ञानेश्वर नाथ सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे । नाथ सम्प्रदाय के बहुत बड़े गुरु गोरखनाथ हिन्दी के आदि लेखकों में से हैं । गोरखनाथ के संपर्क में आने के कारण महाराष्ट्र के सन्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ा । ये सन्त अपने धार्मिक विचारों को हिन्दी के द्वारा प्रकट करते थे । इस प्रकार हिन्दी के प्रचार में सन्तों का बहुत कुछ योगदान रहा है ।

मुसलमानों के दक्षिण में प्रवेश होते ही इस प्रचार को अधिक बल मिला । दक्खिनी जिसे सूफी सन्तों ने अपने धर्म प्रचार का साधन बनाया, खड़ी-बोली का ही एक रूप है । यह बोली दक्खिनी में तीन नामों से प्रचलित है, हिन्दुवीं, हिन्दी और दक्खिनी । हिन्दुवीं शब्द बहुत पुराना है । फ़ारसी से भेद दिखलाने के लिए शुरु में इसका प्रयोग इस देश में 'हिन्द' की भाषा के लिए किया गया है । हिन्दी खड़ी-बोली का यह रूप जिसे दक्खिनी कहते हैं । दक्खिनी यहाँ पहले से प्रचलित थी । ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मुसलमानों का प्रथम आक्रमण 1304 ई० में यादव वंश की राजधानी देवगिरि पर हुआ । अलाऊद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने यह आक्रमण किया । 1307 ई० में आन्ध्र पर आक्रमण हुआ और 1308 ई० में कर्नाटक प्रदेश पर । जब मुहम्मद तुग़लक ने देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया सन् 1327 ई० में तब हिन्दी भाषी जनता दक्खिन में आकर बस गये ।

दक्षिण में हिन्दी का प्रचार तीन युगों में हुआ है ।

पहला युग : (1918-1937) :

इस युग में देश के नौजवानों में देश भक्ति की भावना अंकुरित हुई । देश की जनता राष्ट्र भाषा सीखना गौरव की बात मानती और राष्ट्रीयता की वृद्धि का अनुभव करती हुई पुलकित होने लगी । इन दिनों "एक राष्ट्र भाषा हिन्दी हो, एक हृदय हो भारत जननी" वाले मूलमंत्र से सब लोगों का हृदय ओतप्रोत था । देशभक्ति से प्रेरित सरकारी नौकर अपने अपने घरों में हिन्दी वर्ग चलाने लगे थे । इस उत्साह का प्रभाव उन दिनों की राष्ट्रवादी कांग्रेस पर पड़ा और परिणाम अच्छा ही हुआ । कांग्रेस के विरोधियों ने भी हिन्दी का साथ दिया । मुसलमानों ने हिन्दी पढ़ने पढ़ाने में उत्साह दिखाया । महिलाओं ने तो हिन्दी को विशेष चाह से अपनाया । हिन्दी के स्कूल तथा कालेज में वैकल्पिक स्थान दिया गया ।

दूसरा युग : (1939-1946) :

दूसरा युग तब प्रारंभ हुआ जब सन् 1939 ई० में क्षेत्रीय राज्यों पर कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने अधिकार ग्रहण किया । उन दिनों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का लक्ष्य, ध्येय, तथा उद्देश्य केवल जन सेवा रहा । उनका लक्ष्य अल्प समय में जनता की सर्वाधिक सेवा करने का था । मद्रास में राजाजी के मंत्रिमंडल ने इधर हिन्दी को स्कूलों में अनिवार्य भाषा का स्थान दिया । मैसूर, कोचिन, तिरुवांकूर, तथा हैदराबाद जैसे प्रगतिशील राज्यों में हिन्दी को स्कूल कॉलेज में स्थान मिला । कतिपय विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी को स्थान प्राप्त हुआ । हिन्दी से एम० ए० तक की परीक्षा देने की सुविधा मद्रास के विश्वविद्यालयों में दी गई ।

तीसरा युग : ( 1947 के बाद) :

तीसरा युग 1947 ई0 से प्रारंभ हुआ जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा समूचे देश की एक सार्वजनिक संपर्क भाषा, राष्ट्रीयता का प्रतिक और सारे राष्ट्र की संस्कृति की वाटिका के रूप में देखने की अभिलाषा जगी । संविधान ने जैसे ही हिन्दी पर अपनी मुहर लगा दी कि हिन्दी प्रचार, हिन्दी प्रचारक और हिन्दी को प्रोत्साहन देनेवाली सरकारों के प्रति जनता की समालोचनात्मक दृष्टि होने लगी । बाद में शनैः शनैः दक्षिण में प्रत्येक विश्वविद्यालय के उच्चतम स्तर पर हिन्दी को स्थान मिलने लगा । 1947 के बाद समस्त दक्षिण के स्कूलों, और कॉलेजों में हिन्दी को स्थान मिला ।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया है कि हिन्दी का प्रभाव दक्षिण भारत पर अति प्राचीन काल से ही रहा है ।

प्रस्तुत शोध विषय का सम्बन्ध आन्ध्र प्रान्त से होने के कारण हमें अब तेलुगु एवं हिन्दी प्रदेशों के भौगोलिक एवं भाषा सम्बन्धी वैज्ञानिक परिचय यहाँ पर देना उचित प्रतीत होता है ।

****

## 2 आन्ध्र प्रदेश - एक परिचय

उत्तर भारत में प्रान्तों का निर्माण भाषा के आधार पर पहले से ही था, दक्षिण भारत उससे वंचित था । 1953 के आन्ध्र आन्दोलन के बाद मद्रास राज्य से तेलुगु बोलनेवाले ग्यारह जिलों को अलग करके आन्ध्र राज्य, की स्थापना की गई । यद्यपि दक्षिण में यह पहला प्रान्त था जो भाषा के आधार पर आधारित था तथापि सब तेलुगु भाषी लोग एक ही राज्य के अंतर्गत नहीं लाये गये थे । नवम्बर, 1956 से हैदराबाद राज्य के नौ जिलों को, जो तेलंगाना के नाम से पहचाने जाते थे, आन्ध्र के साथ मिला दिये गये । इसतरह लगभग 150 वर्षों के पश्चात् सभी तेलुगु भाषी जनता एक ही राजकीय क्षेत्र में लायी जाकर विशाल आन्ध्र प्रदेश की स्थापना हुई ।

भाषा की दृष्टि से हिन्दी, मराठी, कन्नड, तमिल और उड़िया भाषी क्षेत्र तेलुगु भाषी प्रदेश के चारों तरफ है । यह कहना मुश्किल है कि भारत में जो दो मशहूर नस्ल हैं - आर्य और द्रविड उनमें से आन्ध्र का संबंध किस नस्ल के साथ था । यह बात तथ्य है कि साढ़े चार करोड़ लोग जिनकी मातृभाषा तेलुगु है, पहली बार 1956 में एक ही भौगोलिक इकाई और एक ही शासन के अंतर्गत लाये गये ।

आन्ध्र प्रदेश के अंतर्गत तीन विभागीय क्षेत्र हैं : 1. "सरकार" कहलाने वाले आठ जिलें जो आन्ध्र प्रान्त भी कहलाता है । 2. रायल सीमा के नाम से कहे जाने वाले चार जिले और 3. तेलंगाना के नाम से पहचाने जानेवाले नौ जिले इस प्रकार आन्ध्र प्रदेश में इक्कीस जिलें हैं । सरकार और 'रायलसीमा' का इलाका अविभाजित मद्रास का एक भाग था । वहाँ के कानून, टैक्सों का ढाँचा नागरिक और ग्रामीण सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा का

स्तर भी अलग था । तेलंगाना का इलाका भूतपूर्व हैदराबाद राज्य का एक अंग था और यह स्वाभाविक था कि वहाँ के कानून, टैक्सों का ढाँचा, नागरिक और ग्रामीण, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा का स्तर, बिलकुल ही अलग था ।

आन्ध्र प्रदेश का इतिहास बहुत ही पुराना और उच्च कोटि का है । आन्ध्रोंका सम्बन्ध तीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक साम्राज्यों से था, जो दो हजार पाँच सौ वर्षों से चला आ रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु कहलाती है । यह संस्कृत मिश्रित और प्राचीन परंपरा से परिपूर्ण है । इस भाषा का साहित्य अधिकतर संस्कृत भाषा और साहित्य से प्रभावित है । तेलुगु लिपि भी संपूर्ण व समृद्ध है । कहते हैं कि यह लिपि ब्रह्मी लिपि से निकली है । तेरहवीं शताब्दी से इस लिपि का अच्छा खासा विकास हुआ है ।

(1) आन्ध्र प्रदेश की साक्षरता :

शिक्षा के क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश ने काफ़ी प्रगति की है, किन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है । 1971 की जनगणना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश की जनसंख्या 435·03 लाख हैं । इनमें पुरुषों की संख्या 220,09 लाख और स्त्रियों की संख्या 214·094 लाख है । यहाँ के 80 प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं और केवल 20 प्रतिशत लोग अथवा नगरों में बसते हैं । शिक्षा के क्षेत्र में विषमता कई प्रकार की है । नागरिक और ग्रामीण विभागों में/नहीं, बल्कि तेलंगाना, रायलसीमा और सरकार इन तीनों इलाकों में भी स्त्री और पुरुषों में काफ़ी विषमता है ।

साक्षरता का अनुपात भी संतोषजनक नहीं है । पुरुषों की साक्षरता का अनुपात 33·3 प्रतिशत है, जबकि इसका राष्ट्रीय अनुपात 39 से भी कम है । स्त्रीयों की साक्षरता का अनुपात केवल 15·7 है जबकि इसका राष्ट्रीय अनुपात 18·5 है । आन्ध्र प्रदेश में साक्षरता का कुल अनुपात 24·57 है । यह राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है । इस क्षेत्र में भी नगर और ग्राम स्त्री और पुरुष और एक जिले और दूसरे जिले के बीच काफी मात्रा में विषमता पाई जाती है ।(1)

(2) तेलुगु भाषा :

तेलुगु आन्ध्र प्रदेश की प्रान्तीय भाषा है । तेलुगु और आन्ध्रमु इसके पर्यायवाची शब्द हैं । इन तीनों में सर्वाधिक प्रचलित शब्द तेलुगु है । इस शब्द का प्रयोग चंद पुरातनवादी साहित्यकारों एवं साहित्यिक रचनाओं तक सीमित है और तेलुगु शब्द का प्रयोग एवं प्रसार तो बहुत कम है ।

तेलुगु भारत की सम्पन्न भाषाओं में से है, इसे भारतीय संविधान में स्वीकृत चौदहा भाषाओं में स्थान मिला है । इसका साहित्य समुन्नत है, जिसका आरंभ 11वीं शताब्दी में हुआ । यह आन्ध्र प्रदेश की जनता के द्वारा दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होनेवाली भाषा होने के साथ-साथ संपूर्ण आन्ध्र प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में उत्तर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम है और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर भी विषय के रूप में इसका अध्ययन एवं अध्यापन किया जाता है । आन्ध्र प्रदेश में तेलुगु में अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हैं । अंग्रेजी के साथ-साथ इसी भाषा के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा का कार्य व्यापार चलता है । भारतीय भाषाओं में हिन्दी के बाद तेलुगु के बोलनेवालों की संख्या सबसे अधिक है ।

(3) तेलुगु भाषा का भाषा वैज्ञानिक परिचय :

तेलुगु भाषा का सम्बन्ध द्रविड़ भाषा परिवार से है । यह द्रविड भाषा परिवार की छः भाषाओं - तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, तुलु और कुडगु में से एक है । माधुर्य में वस्तुतः यह प्रथम स्थान की अधिकारिणी है । भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण के अनुसार आज की तेलुगु अश्लिष्ट अन्त योगात्मक भाषा है ।

(4) तेलुगु भाषा क्षेत्र :

संक्षेप में आन्ध्र प्रदेश सरकार का क्षेत्र ही तेलुगु भाषा का क्षेत्र है । यह उत्तर अक्षांश $12^0$- 14' से $20^0$ तक और पूर्वी रेखांश $77^0$ से $84^0$- 50' तक फैला हुआ है । 600 मील का लम्बा समुद्र तट इस क्षेत्र में है, जो मद्रास से लेकर गोपालपुरम तक व्याप्त है । इसका क्षेत्रफल 1,05,132 वर्गमील है, जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों को छोड़ने पर भारत के अन्य किसी भी राज्य के क्षेत्रफल की अपेक्षा अधिक है । तेलुगु भाषा क्षेत्र इक्कीस जिलों में बाँटा हुआ है । इन इक्कीस जिलों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है ।(2)

1) आन्ध्र प्रान्त 2) रायल सीमा और 3) तेलंगाना ।

आन्ध्र प्रान्त के अंतर्गत श्रीकाकुलम, विशाखापट्टणम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम तथा नेल्लुर जिले आते हैं, रायल सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत चित्तूर, कडपा, कर्नूल और अनंतपुरम जिलें आते हैं । तेलंगाना प्रान्त में आदिलाबाद, वरंगल, करीमनगर, निज़ामाबाद, मेदक, के॰ वी॰ रंगारेड्डी, नलगोण्डा, महबूबनगर और खम्मम जिलें गिने जाते हैं । इस प्रकार आन्ध्र प्रदेश के कुल जिले 21 हैं ।

(5) तेलुगु भाषा क्षेत्र की सीमाएँ :

तेलुगु भाषा क्षेत्र या आन्ध्र प्रदेश की उत्तर पूर्वी दिशा में उड़ीसा, उत्तर में मध्य प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में मैसूर और मद्रास तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी है । इस प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर में उड़िया, हिन्दी और मराठी, पश्चिम में मराठी और कन्नड़ तथा दक्षिण में कन्नड और तमिल भाषाएँ बोली जाती हैं । इन सीमाओं पर रहनेवाले तेलुगु भाषी वस्तुतः द्विभाषी हो गये हैं । वे दोनों भाषाओं में विचार विनिमय कर लेते हैं ।

(6) तेलुगु की बोलियाँ :

भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से तेलुगु की बोलियाँ :-

1) कोंटाबु सालेवारी, गोलारी भी इसी के अन्तर्गत हैं । 2) कामाठी 3) दासरि 4) बेराड़ी, वराड़ी हैं, जिनमें कभी साहित्य की रचना भी हुई, जिस प्रकार हिन्दी ब्रज और अवधी में साहित्य रचा गया है ।(3)

3. हिन्दी भाषा का परिचय :

आज हिन्दी भारत की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा है । यह पूर्वी पंजाब के पूर्वी भाग, हिमाचल प्रदेश के एक बहुत बड़े भाग, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है । इन प्रदेशों में यह माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम है । यहाँ हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और कई स्थानों पर विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाई गई है । विषय के रूप में इसका अध्ययन एवं अध्यापन स्नातकोत्तर स्तर तक किया

जाता है । इसमें समृद्ध साहित्य रचा गया है और रचा जा रहा है और पर्याप्त संख्या में पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं । कई हिन्दीतर भाषा क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य कर दी गई है । यही नहीं, भारत के सभी प्रमुख शहरों में स्थानीय भाषा के साथ इसका भी व्यवहार होता है । मातृभाषा के रूप में इसके बोलनेवालों की संख्या 123,025,489 है । (यदि इस संख्या में हिन्दी की बोलियों तथा राजस्थानी, बिहारी और उनकी बोलियों के बोलनेवालों की संख्या मिला दी जाये तो, इसके बोलनेवालों की संख्या 165,155,897 हो जायेगी) संपूर्ण भारत में इसे समझनेवालों की संख्या लगभग साढ़े उन्नीस करोड़ है । इस तरह हिन्दी भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक जनता द्वारा बोली और समझी जाती है और विश्व में संख्या की दृष्टि से इसका स्थान तीसरा है ।(4)

(1) हिन्दी भाषा का वैज्ञानिक परिचय :

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंशों से हुआ । दसवीं शताब्दी तक आते-आते आधुनिक आर्य भाषाओं ने अपने को अपभ्रंशों से अलग कर लिया । हिन्दी इन आधुनिक आर्यभाषाओं में एक प्रमुख भाषा है । वह शौरसेनी, अर्द्ध-मागधी अपभ्रंशों से निकली सभी बोलियों में प्रमुख होते हुए 20वीं शताब्दी तक पहुँचते-पहुँचते प्रमुख साहित्यिक भाषा बन गई । भाषाओं के 'आकृतिमूलक वर्गीकरण' के अनुसार कहा जा सकता है कि आज की हिन्दी बहिर्मुखी श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा है ।

(2) हिन्दी भाषा क्षेत्र की सीमाएँ :

इसके पूर्व में बंगाल, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हिमालय, पश्चिम-दक्षिण में छोटा नागपुर का प्रदेश और पश्चिम-उत्तर में गुजरात है । हिन्दी भाषा

क्षेत्र की पूर्वी दिशा में बंगला, पश्चिम दिशा में पंजाबी, दक्षिण में मराठी, तेलुगु और पश्चिम-उत्तर में गुजराती और सिन्धी बोली जाती है ।

(3) <u>हिन्दी की बोलियाँ :</u>

हिन्दी और उसकी बोलियों के संबंध में कई विचारधाराएँ प्रचलित हैं । भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी की बोलियाँ निम्नलिखित मानी जाती हैं :-
(1) खड़ी बोली (2) ब्रज (3) बांगरू (4) कनौजी (5) बुंदेली (6) अवधी (7) छत्तीसगढ़ी और (8) बघेली । इनमें छः पश्चिमी हिन्दी (उपभाषा) के अन्तर्गत गिनी जाती है और अन्तिम तीन पूर्वी हिन्दी (उपभाषा) के अन्तर्गत आती हैं । इनमें ब्रज और अवधी में प्रभावशाली साहित्य पर्याप्त मात्रा में लिखा गया है । (5)

परिनिष्ठित हिन्दी भाषा क्षेत्र के शिष्ट लोगों के द्वारा व्यवहृत साधु भाषा है । दिल्ली और मेरठ के आसपास के प्रदेशों में बोली जानेवाली भाषा (खड़ी बोली) पंजाबी, बांगरू, ब्रज आदि बोलियों के प्रभाव को ग्रहण करते हुए अन्य सभी सहवर्ती बोलियों से ऊपर उठकर विकसित हुई और समस्त हिन्दी भाषा क्षेत्र में फैल गयी और वही परिनिष्ठित हिन्दी के रूप में प्रचलित हुई ।

(4) <u>आन्ध्र प्रान्त में हिन्दी शिक्षण :</u>

सन् 1930 जनवरी से आन्ध्र के पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में हिन्दी को स्थान दिया गया । इन पाठशालाओं में स्थान दिलाने का प्रयत्न सबसे पहले नेल्लूर में हुआ । उन दिनों हिन्दी प्रचार का कार्य जोरों से चल रहा था । सन् 1922 में म्युनिसिपालीटी भी अपनी पाठशालाओं में हिन्दी पढ़ाने लगी । हिन्दी के अनन्य प्रचारक श्री मोटूरि सत्यनारायण जी एवं श्री रामभरोसे जी

ने हिन्दी का प्रचार नेल्लूर में शीघ्र गति से किया । नेल्लूर की म्युनिसिपालिटी की हिन्दी नीति का सरकार ने विरोध किया । अतएव सन् 1922 में हिन्दी की पढ़ाई शुरू करके सन् 1923 में म्युनिसिपालिटी को उसे बन्द करना पड़ा । सन् 1928 में पुनः उन स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था हुई । सन् 1950 से अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी को स्थान प्राप्त हुआ ।

आन्ध्र तथा अन्य प्रान्तों के राष्ट्रीय शिक्षणालयों में सन् 1919-20 के बीच हिन्दी की पढ़ाई आरम्भ हो गई । उन दिनों हिन्दी के सामान्य ज्ञान के बिना राष्ट्रीय शिक्षा अधूरी समझी जाती थी । आन्ध्र की कई राष्ट्रीय संस्थाओं ने हिन्दी को पाठ्यक्रम में स्थान दिया । इस प्रकार अनिवार्य रूप से हिन्दी की पढ़ाई नेशनल कालेज, मछलीपट्टणम, शारदा निकेतन, गुंटूर, नेशनल हाईस्कूल एलूर, सनातन विद्यालय राजमहेन्द्री, वैश्य सेवा संघम्, गुंटूर, नेशनल हाईस्कूल राजमहेन्द्री और बालिका हिन्दी पाठशाला, काकीनाडा में जारी रही । उस समय आन्ध्र प्रान्त मद्रास के अंतर्गत था, इसलिए आन्ध्र की शिक्षा-नीति मद्रास सरकार पर निर्भर थी । इसलिए 1940 में मद्रास सरकार ने हिन्दी को ऐच्छिक बनाने की विज्ञप्ति निकाली । परन्तु उस समय ब्रिटिश सरकार एवं कांग्रेस नेताओं में मतभेद हुआ । वे हिन्दी को 225 हाईस्कूलों में अनिवार्य रूप में पढ़ाना चाहते थे । परन्तु उस समय की ब्रिटिश सरकार उनकी माँग को पूरी नहीं कर सकी जिसके फलस्वरूप हिन्दी प्रेमियों तथा प्रचारकों में निराशा फैल गई । इस कारण से मंत्रिमंडल ने इस्तिफ़ा दे दिया तब शासन की बागडोर गवर्नरों के हाथ में आ गई । इस बीच में हिन्दी प्रचार रुक गया । बाद में सरकार ने हिन्दी को पाँचवी कक्षा से ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाने का आर्डर दे दिया । परन्तु इसके अन्तर्गत हिन्दी के प्रचार को रोकना रोकने का ही आशय था ।

सन् 1945 में फिर से कांग्रेस मंत्रिमंडल अधिकार में आ गया तो उस समय के शिक्षा मंत्री श्री अविनाश लिंगम् चेट्टियार ने हिन्दी को स्कूलों में पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय बनाया । लगभग सभी स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई शुरु की गई । परन्तु 1948 में जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जब फिर एक बार परिवर्तन हुआ तब उस समय के शिक्षामंत्री श्री के0 माधव मेनन ने हिन्दी विरोधी लोगों को खुश करने के लिए एस0 एस0 एल0 सी0 परीक्षा के लिए हिन्दी विषय को मान्यता न देने की नीति अपनाई । इसके अनुसार कोई भी विद्यार्थी हिन्दी पढ़ सकता है, लेकिन एस0 एस0 एल0 सी0 के लिए हिन्दी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है । परन्तु आन्ध्र के हाईस्कूलों में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी । आन्ध्र के विश्वविद्यालय के स्तर पर हिन्दी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाने लगी ।

"सरकार की इस अस्थिर नीति के कारण दक्षिण के हिन्दी कार्यकर्ताओं तथा हिन्दी प्रेमियों को बड़ी निराशा हुई । हिन्दी प्रेमियों की यह इच्छा थी कि प्रथम कक्षा से लेकर स्कूल के दसवीं कक्षा तक हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाये, जिससे स्कूल फाईनल तक की शिक्षा पानेवाले छात्रों को हिन्दी की पर्याप्त योग्यता प्राप्त हो । कालेज की ऊँची शिक्षा पाने के इच्छुक छात्रों को भी वहाँ जाने पर अपनी हिन्दी की पढ़ाई जारी रखने की प्रेरणा मिलेगी और उनकी हिन्दी की जानकारी भी कालेज शिक्षा के उपयुक्त होगी ।" (6)

परन्तु उस समय आन्ध्र प्रान्त मद्रास सरकार के अंतर्गत होने के कारण सरकार इस बात से बिलकुल सहमत नहीं हुई । हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में पाठशालाओं में पढ़ाने के कार्यकर्ताओं की इच्छा को मद्रास सरकार ने खण्डन किया । सरकार का कहना है कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक और तीसरी भाषा अनिवार्य रूप में पढ़ाना विद्यार्थियों के ऊपर बड़ा बोझ डालना होगा । उनकी यह धारणा थी कि हिन्दी पढ़ाई से मातृभाषा को भी धक्का पहुँचेगा और

अंग्रेजी का स्तर भी गिर जायेगा । अंग्रेजी के प्रति सरकार का यह मोह वास्तव में हमारी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रभाषा के विकास में अत्यन्त ह्रासकारी सिद्ध हुआ है ।

मद्रास सरकार की यह नीति आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी प्रचार की गति को मंद क बना दिया । नौकरी देते समय हिन्दी योग्यता का कोई विशेष स्थान नहीं था । उत्तर भारत से हिन्दी सीखाने के लिए जो कर्मठ प्रचारक आन्ध्र प्रान्त में आते थे उनका आना बन्द हुआ । छात्रों को शुद्ध हिन्दी सुनने तथा बोलने का अवसर अधिक नहीं मिल सका ।

(।) आन्ध्र प्रान्त का शिक्षा विधान तथा हिन्दी :

आन्ध्र प्रान्त का शिक्षा विधान मद्रास राज्य की शिक्षा पद्धति से जुडी हुई थी । हिन्दी परीक्षा का विषय नहीं थी नामभात्र के लिए विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी । प्रति सप्ताह में दो घण्टे ही हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था थी । छात्रों को हिन्दी ऐच्छिक विषय था । वे उन दो घंटों में हिन्दी पढ़ने के लिए कक्षा में बैठते थे अथवा दस्तकारी कर लेते थे । दस्ताकारी के नाम पर छात्र मैदान में खेलते थे । हिन्दी पढ़ने के बजाय छात्रों को मैदान में खेलना ही पसंद था अतः माध्यमिक पाठशालाओं में हिन्दी क नाम के लिए, प्रवेश पा चुकी थी । किन्तु छात्र हिन्दी सीखने के प्रति उत्साह नहीं दिखाते थे ।

हिन्दी शिक्षकों को कक्षा में हिन्दी पढ़ाना अत्यन्त कठिन कार्य होता था क्योंकि छात्रों का मन हिन्दी सीखने के विरुद्ध था । पूरा प्रशासकीय वातावरण हिन्दी भाषा के विरोध में था ।

मद्रास राज्य से अलग होने के बाद आन्ध्र प्रान्त में हिन्दी के लिए प्रोत्साहन मिला । सरकार ने माध्यमिक पाठशालाओं में अनिवार्य रूप से हिन्दी

के अध्यापन तथा अध्ययन पर ज़ोर दिया । एस० एस० एल० सी० परीक्षा में हिन्दी एक अनिवार्य विषय बनाई गई । उसमें उत्तीर्ण अंक पन्द्रह माने गये । किन्तु हिन्दी सीखने तथा न सीखने का एक संघर्ष सा चलता रहा । सरकार ने हिन्दी को एस० एस० सी० परीक्षा के लिए अनिवार्य तो बना दिया, किन्तु इस पद्धति को अमल करने में उसको अपना सिर झुकाना पड़ा । सरकार ने हिन्दी में उत्तीर्ण अंक पन्द्रह से घटाकर पाँच अथवा सात कर दिये जिससे हिन्दी के अध्यापन तथा अध्यापन पर अधिक प्रभाव पडा । सच तो यह है कि पाँच अंक परीक्षा में लाने हैं तो छात्र क्यों श्रद्धा से हिन्दी पढ़े ? फलतः छात्र हिन्दी भाषा सीखने के प्रति उदासीन ही रहे ।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रान्त के छात्रों को हिन्दी शिक्षण छठवीं कक्षा से आरंभ करने का आदेश दिया । इससे आन्ध्र के छात्रों को छठवीं कक्षा में पाँचवी कक्षा की हिन्दी पुस्तक भी पढ़ना पड़ता है । तेलंगाना में तो हिन्दी शिक्षण पाँचवीं कक्षा से आरंभ होता है ।

इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एस० एस० सी० परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों को 35 से 20 तक घटा दिया है और हिन्दी अंकों को कुल अंकों में न मिलाने का आदेश दिया है । यह आदेश छात्रों में हिन्दी अधिगम की कुशलता को घटाने में सहायक ही नहीं हुआ बल्कि इससे उनके मन में हिन्दी के प्रति एक प्रकार की उदासीनता आ गई ।

आन्ध्र के छात्र मद्रास सरकार के अंतर्गत रहकर हिन्दी न सीख सके परन्तु आन्ध्र प्रदेश सरकार से भी उनको पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलना दुर्भाग्य की बात है । परंतु तेलंगाना के छात्रों को यह कठिनाई नहीं है । आन्ध्र के

छात्रों की तुलना में तेलंगाना के छात्र क्यों हिन्दी में दक्ष है इसको जानने के लिए हमें तेलंगाना क्षेत्र में हिन्दी शिक्षण के विकास पर प्रकाश डालना ज़रूरी है ।

5 तेलंगाना क्षेत्र में हिन्दी शिक्षण :

मातृभाषा की शिक्षा छात्र के लिए उसकी समस्त शिक्षा का आधार है । यह वह भाषा है जिसका प्रयोग वह जन्म से करता आता है । यही कारण है कि मातृभाषा द्वारा आत्माभिव्यक्ति अधिक स्वाभाविक रूप से कर सकता है । भारत जैसे विशाल देश में अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो विभिन्न भाषा भाषियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके । उस भाषा के द्वारा वे विचार विमर्श आसानी से कर सके । इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है । राष्ट्रभाषा का दायित्व हिन्दी ग्रहण करके विभिन्न भाषा-भाषी राज्यों में प्राण शक्ति का संचार करें ताकि एक रसत्व और एकता का निर्माण हो जाए ।

इसको आधार लेकर हम 1938 की बात सोचेंगे । इस समय तेलंगाना क्षेत्र मुसलमानों के शासन में था । उस समय के निज़ाम राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिन्दी गैर मुल्की ज़बान है उनका कहना है कि "किसी सरकारी स्कूल में हिन्दी की पढ़ाई करना अव्यवहारिक है, विशेषकर उस समय जब कि हिंदी मुल्की ज़बान नही है ।" (7) वास्तव में देखाजाये तो हिन्दी भाषा का प्रचार दक्षिण में संतो ने अपने भक्ति गीतों के द्वारा किया है जो तेलंगाना के निवासी तन्मय होकर गाते हैं । यह बात तेलंगाना निवासी श्री अहमुल्लह की "दक्षिणा विलासी" पुस्तक में पायी जाती हैं । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से जो लोग वाणिज्य एवं राजनीति आदि उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर बस गये थे । जिनका प्रभाव तेलुगु भाषा एवं तेलुगु भाषियों पर पड़ना स्वाभाविक है ।

इसके अतिरिक्त मुसलमान शासकों के पास "हिन्दी नवीस" के नाम पर लोग नियुक्त किये जाया करते थे । लक्ष्मीनारायण कायस्थ ने 'तेलंगाना बोध' का एक कोष भी बनाया है जिसमें तेलुगु के शब्दों के अर्थ हिन्दी में दिये गये हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि हैदरावाद में हिन्दी का प्रचार एवं प्रभाव निज़ाम सरकार से पूर्व ही था ।

हैदराबाद राज्य की नींव मीर कमरुद्दीन कुली खाँ निज़ामुलमुल्क आसफ़जाह ने डाली थी । उस समय से लेकर आजतक हैदराबाद के सिंहासन पर सात बादशाह सुशोभित हुए और सभी ने अपनी रुचि के अनुसार, हिन्दी, उर्दू और फ़ारसी को प्रोत्साहित किया । निज़ाम सरकार की चौथी पुश्त तक उर्दू तथा हिन्दी का उचित आदर होता रहा । परन्तु पाँचवी पुश्त में से हिन्दी उर्दू का झगड़ा प्रारंभ हो गया और रज़ाकारी युग में तो हिन्दी घोर अंधकार में चली गयी । उस समय पाठशालाओं में, अदालतों एवं कचहरियों में उर्दू ही यहाँ की प्रांतीय भाषा थी और पाठशालाओं में उर्दू को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़नी पड़ती थी । यथार्थ में 7वीं निज़ाम के शासन काल में सन् 1917 में जब हैदराबाद में उस्मानिया विश्व विद्यालय की स्थापना हुई । उस समय उर्दू के प्रचार को अत्यधिक बल मिला, शिक्षणालयों और सरकारी भाषा भी उर्दू होने के कारण मराठी और तेलुगु आदि मातृभाषा भाषियों को उर्दू सीखना अनिवार्य था । परंतु उर्दू वस्तुतः हिन्दी का ही एक रूप है और व्याकरण की दृष्टि से इन दोनों में बहुत साम्य है । फिर भी तेलुगु, मराठी और कन्नड भाषा भाषियों को उर्दू सीखने में अवश्य बहुत कठिनाई होती रही । क्योंकि मातृभाषा को छोड़कर अन्य भाषा के माध्यम के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना शिक्षा सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध है ।

निज़ाम सप्तम के काल में हिन्दी भाषा भाषियों में धर्म और संस्कृति का प्रभाव क्षीण पड़ गया । इसलिए हिन्दी भाषा भाषी ने जो हैदराबाद राज्य के अंतर्गत थे वे सरकारी नीति का विरोध करके अपने तौर पर हिन्दी सिखाने के प्रयत्न किये । इसी समय आर्य समाज ने गुरु कुल आदि की स्थापना करके एक बड़े अभाव की पूर्ति की इसकी ओर से मोमिनाबाद और हिंगोली आदि स्थानों पर हिन्दी की पाठशालाएँ भी चलायीं गयीं, जिनमें हिन्दी और संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य थी । इस समय हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद, के हिन्दी प्रचार का प्रयास उल्लेखनीय है ।

उस समय हैदरावाद राज्य में मराठवाड़ा, तेलंगाना तथा कर्नाटक तीन भिन्न क्षेत्र थे । इन क्षेत्रों में मराठी तेलुगु तथा कन्नड क्षेत्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त थी, इसी समय कुछ हिन्दी प्रचारको ने गुप्त पाठशालाएँ चलायीं । हैदरावाद की कुछ खानगी संस्थाऐं हिन्दी माध्यम के द्वारा शिक्षा दी जाने लगी । इनकी स्थापना गुरुकुल कांगडी हरिद्वार के आधार पर हुई ।

इसके वाद बीदर जिले के "हली खेड" गाँव में आर्य समाज के प्रबंध में 1920 ई0 में एक पाठशाला खोली गयी तथा 1930 के लगभग "धर्म प्रकाश" नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी हिन्दी में निकाली गयी जो कुछ समयोपरान्त बन्द हो गयी । परन्तु हैदराबाद राज्य में अनेक स्थानों पर आर्य समाज की संस्थाओं की स्थापना हुई जिनके द्वारा हिन्दी का प्रचार अप्रत्यक्ष रूप से होता था ।

इस प्रकार 1905 से लेकर 1947 तक हिन्दी माध्यम की अनेक पाठशालाऐं खुली और हिन्दी माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी ।

1947 के पुलीस एक्शन के बाद बदलती हुई परिस्थिति को दृष्टि में रखकर हैदराबाद सरकार ने 1949 ई0 से समस्त सरकारी स्कूल (मिडिल अथवा हाईस्कूलों में) मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाने के विषय में=एक सरक्यूलर निकाली । (8) (सरक्यूलर क्रमांक : 125 दिनांक 17 एप्रिल, 1948) इसके बाद इसको स्पष्टीकरण करते हुए सरक्यूलर सं0 147, 173 दिनांक 28-5-1950 में हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों में जहाँ अनेक भाषाओं के बोलनेवाले लोग रहते थे तथा जिलों के उन नगरों में जहाँ दो दो भाषाएँ बोली जाती थी वहाँ समानांतर कक्षाओं को चलाने का प्रबंध किया गया । (9) इस प्रकार सरकारी पाठशालाओं में प्रादेशिक भाषा अथवा हिन्दुस्तानी के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकने की छूट दी गयी थी । 1949 में उस्मानिया विश्वविद्यालय में भी हिन्दी का प्रबंध हुआ । हिन्दी का एक नया विभाग खोले जाने की आज्ञा दी गयी ।

इस प्रकार तेलंगाना क्षेत्र निज़ाम के शासन के अंतर्गत होने के कारण यहाँ पर उर्दू का वातावरण रहा । इसका प्रभाव सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । उर्दू एवं हिन्दी की ध्वनि व्यवस्था एवं व्याकरण व्यवस्था में अधिकतम साम्यता रहने के कारण तेलंगाना क्षेत्र के छात्रों को हिन्दी सीखने में अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है । हिन्दी का वातावरण छात्रों को इस रूप में प्राप्त हुआ । भाषाध्यायन की दृष्टि से निज़ाम का शासन, हिन्दी प्रदेशों से हिन्दी भाषा-भाषी, एवं धार्मिक संस्थाओं की स्थापना तेलंगाना में रहनेवाले, छात्रों को हिन्दी सीखने में सुलभसाध्य बन गया । इसी का फलस्वरुप मद्रास का हिन्दी आन्दोलन आन्ध्र प्रदेश पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका ।

तेलंगाना के माध्यमिक पाठशालाओं में जब हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य

रूप से होने लगी, तो छात्रों को हिन्दी सीखने में कोई कठिनाई नहीं हुई । अधिक उत्साह तथा आदर से हिन्दी का अध्ययन होने लगा । हिन्दी के लिए अन्य भाषाओं के जैसे पाँच घंटे दिये गये । हिन्दी को परीक्षा का एक अनिवार्य विषय बनाया गया था, जिसमें छात्रों को अन्य विषयों के जैसे पैंतीस अंक प्राप्त करना था । यहाँ के माध्यमिक शिक्षा के अंतिम परीक्षा हेच० एस० सी० में हिन्दी को उचित तथा गौरवमय स्थान मिला । इस दिशा में सरकार की भाषा-नीति प्रशंसनीय थी ।

6 रायलसीमा क्षेत्र में हिन्दी शिक्षण :

इस क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले कर्नूल, अनंतपूर, कड़पा और चित्तूर आन्ध्र प्रान्त के अंतर्गत होने के कारण इन जिलों पर भी मद्रास सरकार के शासन का प्रभाव था । इसलिए इन क्षेत्रों में भी मद्रास सरकार की भाषा-नीति आन्ध्र प्रान्त की नीति के जैसा है । इसका वर्णन पिछले पृष्ठों में आ गया है इसलिए रायलसीमा में हिन्दी शिक्षण पर प्रत्येक रूप से चर्चा करना युक्ति संगत न होगा ।

इन तीनों प्रान्तों की हिन्दी भाषा शिक्षण पर इसलिए प्रकाश डाला गया है कि आन्ध्र प्रदेश में इन तीनों प्रान्तों का शैक्षिक प्रशासन एक होने पर भी आन्ध्र प्रान्त के छात्र ही हिन्दी में क्यों कमज़ोर हैं और उनके सामने हिन्दी अधिगम संबंधी किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसको स्पष्ट रूप से दर्शाना ही शोधकर्ता का उद्देश्य रहा है इसलिए शोधकर्ता ने इन तीनों क्षेत्रों में हिन्दी भाषा का स्थान एवं इन प्रान्तों की ऐतिहासिक भूमिका को प्रस्तुत किया है ।

...

## निष्कर्ष

इस अध्याय में आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी शिक्षण का परिचय दिया गया है ।

शोधकर्ता ने दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार कैसे प्रारंभ हुआ है इसकी आलोचना करते हुए आन्ध्र प्रदेश के तीनों प्रान्तों के हिन्दी प्रचार आन्दोलन का संक्षिप्त परिचय दिया है ।

प्रस्तुत शोधकार्य का सम्बन्ध आन्ध्र प्रदेश का एक क्षेत्र 'आन्ध्र प्रान्त' से होने के कारण शोधकर्ता ने आन्ध्र प्रदेश की प्रादेशिक भाषा तेलुगु एवं द्वितीय भाषा हिन्दी की क्षेत्रीय सीमाओं के साथ साथ दोनों भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक परिचय प्रस्तुत किया है । यह परिचय दोनों क्षेत्रों के भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ हिन्दी तथा तेलुगु भाषा के भाषा वैज्ञानिक साम्यता तथा विषमता का परिचय देने में सहायक हुआ है ।

इसके परिपेक्ष्य में शोधकर्ता ने आन्ध्र प्रदेश के तीनों प्रान्तों में हिन्दी की स्थिति को शैक्षिक पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत किया है जो इस शोधकार्य में प्रमुख स्थान रखता है ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि आन्ध्र प्रान्त के छात्रों के भाषा अधिगम सम्बन्धी समस्याओं एवं कठिनाइयों को जानने में सहायक सिद्ध हुआ है ।

शोधकर्ता ने इस शीर्षक का गंभीर अध्ययन करके यह सोचा कि सम्बन्धित क्षेत्र में पूर्वकृत कार्य कहाँ तक इस प्रान्त के छात्रों की समस्याओं एवं कठिनाइयों पर प्रकाश डाला है । इसको जानने के लिए आगामी अध्याय में शोधकर्ता ने उन शोधकार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया है ।

* * *

## सहायक ग्रन्थ सूची


| | | |
|---|---|---|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश सेनसस् रिपोर्ट 1971 | |
| 2 | जे0 विश्वामित्र | : तेलुगु और हिन्दी ध्वनियों का तुलनात्मक अध्ययन, केन्द्रीयहिन्दी संस्थान, आगरा, पृ0 1, 2 |
| 3 | उदयनारायण तिवारी (अनुवादक | : भारत का भाषा सर्वेक्षण, प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, पृ0 181 |
| 4 | विश्वामित्र | : तेलुगु और हिन्दी ध्वनियों का तुलनात्मक अध्ययन, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, पृ0 3 |
| 5 | भोलानाथ तिवारी | : भाषा विज्ञान, किताब महल, इलाहाबाद, 1957, पृ0 44 |
| 6 | केशव नायर पी0 के0 | : दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार आन्दोलन का समीक्षात्मक इतिहास, हिन्दी साहित्य भण्डार, 1976, पृ0 54 |
| 7 | मधुसूदन चतुर्वेदी | : हैदराबाद में हिन्दी, पृ0 46 |
| 8 | आन्ध्र प्रदेश शिक्षा विभाग | : सर्क्यूलर नं0 125, दिनांक 17-4-48 |
| 9 | आन्ध्र प्रदेश शिक्षा विभाग | : सर्क्यूलर नं0 147, दिनांक 28-5-50 |